



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237432
CG-DL-E-22072022-237432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3130]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3130]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3291(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1126 (अ), दिनांक 11 मार्च 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग में (NH-40 और NH-69 के बीच लापता लिंक के चार लेन के लिए) NH-40 के कि.मी. 351.460 से कि.मी.358.260 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "द हिंदु" की दिनांक 18 मार्च, 2022 और "आंध्र ज्योति" दिनांक 19 मार्च, 2022 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी

रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग में (NH-40 और NH-69 के बीच लापता लिंक के चार लेन के लिए) NH-40 के कि.मी. 351.46 से कि.मी.358.26 तक के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: चित्तूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चित्तूर				
	गांव का नाम: माँगासमुद्रम				
1	31	निजी	ड्राई	0.0242817	डि. पुरुषोत्तम नायडु स/ओ डि. माणिक्यं नायडु (३१/३ए)
2	32	निजी	ड्राई	0.1537839	डि. पुरुषोत्तम नायडु स/ओ डि. माणिक्यं नायडु (३२/३सि१)
	गांव का नाम: तिम्मासमुद्रम				
3	100	सरकारी	वागू	0.0283286	ए.पि. गवर्नमेंट (१००/२)
4	102	निजी	आई ड्राई	0.0283286	पि . वि. सालम्म व/ओ वेलु (१०२/२)
5	450	निजी(डी के टी)	ड्राई	0.0242817	सुधाकर रेड्डी एँस/ओ जयराम रेड्डी (४५०/४०)
6	450	निजी(डी के टी)	ड्राई	0.0404694	ए.पि. गवर्नमेंट

					(४५०/३९)
7	450	निजी(डी के टी)	ड्राई	0.0485633	ए.पि. गवर्नमेंट (४५०/३८)
8	475/16	निजी	ड्राई	0.0647511	सिथाम्स विध्य संस्थालु (४७५/१८)
9	98	निजी	ड्राई	0.0526103	1. के. आशोक कुमार स/ओ एम.कृष्णास्वामी 2. जि. बालाजी चौदरी स/ओ जि.पार्थसारदी नायडु, 3. सरस्वति व/ओ मणि , 4. केसवन स/ओ दोरस्वामि मोडलि , 5. दसरधन स/ओ दोरस्वामि मोडलि , 6. के. वरदराजुलु स/ओ कृष्णास्वामी , 7. के.भुवनेश्वरी व/ओ के.प्रकाश , 8. सरवनन स/ओ के.पोन्नुस्वामी , 9. शसि कुमार स/ओ के.पोन्नुस्वामी , 10. केसवन स/ओ कृष्णास्वामी , 11. के. ईस्वरन स/ओ कृष्णास्वामी (९८/२)
10	99	निजी	आई ड्राई	0.0202347	1. के. आशोक कुमार स/ओ एम.कृष्णास्वामी, 2. पि . वि. सालम्म व/ओ वेलु (९९/२)
			कुल	0.4856333	

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3291(E). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1126(E), Dated the 11th March, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning etc.,) Maintenance, management and for four lane of missing link between NH-40 and NH-69 from Km.351.460 to Km.358.260 of NH-40 in the district of CHITTOOR in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declared its intention to acquire such land;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” dated 18th March, 2022 and “Andhra Jyothi” dated 19th March, 2022 respectively under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been made to the competent Authority within the period specified under sub-section (1) of Section 3C.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for construction, maintenance, and Operation for four lane of missing link between NH-40 and NH-69 from Km.351.460 to Km.358.260 of NH-40 in the district of CHITTOOR in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: CHITTOOR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chittoor				
	Village: Mangasamudram				
1	31	Private	DRY	0.0242817	D. Purushotham Naidu S/o D. Manikyam Naidu 31/3A
2	32	Private	DRY	0.1537839	D. Purushotham Naidu S/o D. Manikyam Naidu 32/3C1
	Village: Timmasamudram				
3	100	Government	VAGU	0.0283286	A.P. Government 100/2
4	102	Private	I DRY	0.0283286	P. V. Salamma W/o Velu 102/2
5	450	Private(DKT)	DRY	0.0242817	Sudhakar Reddy S/o Jayarama Reddy 450/40
6	450	Private(DKT)	DRY	0.0404694	A.P. Government 450/39
7	450	Private(DKT)	DRY	0.0485633	A.P. Government 450/38
8	475/16	Private	Dry	0.0647511	Sithams Vidhya Samsthalu 475/18
9	98	Private	DRY	0.0526103	1. K. Ashok Kumar S/o M.Krishnaswamy 2. G. Balaji Chowdari S/o G.Parthasardi Naidu, 3. Saraswathi W/o Mani , 4. Kesavan S/o Doraswamy Modali , 5. Dasaradhan S/o Doraswamy Modali , 6. K.Varadarajulu S/o Krishnaswamy , 7. K.Bhuvaneswari W/o K.Prakash , 8. Saravanan S/o K.Ponnuswamy , 9. Sasi Kumar S/o K.ponnuswamy , 10.

					Kesavan S/o Krishnaswamy , 11. K.Eswaran S/o Krishnaswamy 98/2
10	99	Private	I DRY	0.0202347	1. K. Ashok Kumar S/o M. Krishnaswamy , 2. P. V. Salamma W/o Velu 99/2
			TOTAL	0.4856333	

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP/3D]

RAJESH GUPTA, Director